राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,
E-mail – csf.suratgarh@indiaseeds.com
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi –12

क्र. : सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-65/भाग-**II**/2025-26 दिनाँक : 20.05.2026

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.) में खरीफ 2026, रबी 2026-27 एवं समर/जायद 2027 में किये जाने वाले कृषि कार्यों को करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से ऑनलाईन निविदाएँ दिनाँक 11.06.2026 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन (दिनाँक 11.06.2026) दोपहर 03:00 बजे मुख्यालय सूरतगढ़ में खुलेगी। इच्छुक योग्य व्यक्ति/क्रेता/फर्म आदि ई-निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं। ई-निविदाएँ देने से पहले Online माध्यम से रु. 590/- निविदा फॉर्म राशि व रु. 10,000/- प्रति चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में **एकमुश्त** जमा करवानी होगी। निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं। निविदा हेतु हमारे ई-पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

प्रबंधक (उत्पादन)

Instructions to Bidder- Online Mode

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of GST Registration (if any)	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Firm Letter Head (if any)	
Copy of Bank Passbook	
Signed copy of Term & Conditions	
Tender form fee deposited (Yes/No)	
No. of chaks applied	
EMD amount deposited (in Rs.)	

Details of Chaks

सूरतगढ़ फार्म के चकों पर गिरे हुए पेड़ों को खंड के विनोइंग केंद्र पर शिफ्ट करवाने के कार्य हेतु चक की श्रेणी :-

S.No.	Block No.	Chak No.	Category
1	1	BRP 1	B
2	1	BRP 3	A
3	1	35 STG	B
4	1	37 STG	B
5	1	38 STG	C
6	1	39 STG	B
7	1	40 STG	C
8	1	41 STG	B
9	1	42 STG	B
10	1	44 STG	A
11	2	RPM 1	A
12	2	RPM 2	B
13	2	RPM 3	C
14	2	RPM 4	C
15	2	31A PBN	B
16	2	31B PBN	C
17	2	33 PBN	C
18	3	34 PBN	A
*19	3	3 SGM+EPO+HQ+Bhagwansar Godown Area	A
20	3	4 SGM	A
21	3	5 SGM	A

नोट : क्रम संख्या 19 में अंकित चक 3 **SGM**, **EPO**, **HQ** व **Bhagwansar Godown** में उपलब्ध पेड़ों की लकड़ी शिफ्टिंग के कार्य हेतु एक ही यूनिट में रखा गया है | उक्त कार्य हेतु एक ही **EMD** व अनुबंध पर कार्य करवाया जायेगा |

उपरोक्त श्रेणी चकों की विनोइंग केंद्र से दूरी के अनुसार निर्धारित की गयी है :-

1. श्रेणी **A** : विनोइंग केंद्र से अधिक दूरी वाले चक |

2. श्रेणी **B** : विनोइंग केंद्र से मध्यम दूरी वाले चक |

3. श्रेणी **C** : विनोइंग केंद्र से निकटवर्ती या कम दूरी वाले चक |

खरीफ 2026, रबी 2026–27 एवं जायद 2027 में होने वाले कृषि कार्यों को करने के लिए नियम व शर्तें

1. निविदा में भाग लेने के लिये रु. 590/- निविदा शुल्क व रु. 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के लिये धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे | यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा चक के लिये दरें भरना चाहता है तो एक ही बार में सम्पूर्ण धरोहर राशि (रु. 10,000 X जितने चकों की दरें निविदा में भरनी है) ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी, तभी निविदा प्रपत्र मान्य होंगे | बिना धरोहर राशि कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी | निविदा की दर स्वीकृत नहीं होने की दशा में अर्थात असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी | निविदा की दर स्वीकृत होने पर धरोहर राशि, सुरक्षा राशि में समायोजित कर ली जायेगी | सुरक्षा राशि कार्य सन्तोषजनक **ढंग** से पूरा होने के बाद बिना **ब्याज** के लौटा दी जायेगी । कार्य के बारे में विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं | खरीफ 2026, रबी 2026-27 व जायद 2027 (30.06.2027 तक या नई दरें निर्धारित होने तक) के कृषि कार्यों को नियमानुसार करना अनिवार्य होगा |

खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना।

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिटटी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिटटी निकालने का कार्य खेतो के लेवल (Depth) के अनुसार करना होगा । खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व पटरी की सफाई भी करनी होगी।

पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना ।

1. फावडों या सम्बधित कोई भी यंत्र का इन्तजाम **स्वयं** ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसलों में बटों की मरम्मत स्वंय करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग–अलग पटरे वाईज लगाना होगा।
3. सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहाॅ पहॅुच सके व जहाॅ कही भी आवश्यक होगा वहाॅ ऊॅची टिकरियों पर पानी हत्थे द्वारा उठाकर फेंकना होगा। बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोडना।
4. **धान की फसल में पलेवा व प्रथम सिंचाई के बाद जितनी भी सिंचाई की जाएगी उसकी निविदादाता को अलग दरें भरनी होगी |**

खण्ड–तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई का करना।

1. खण्ड–3 में डिग्गियों के माध्यम से स्प्रिंकलर, रैनगन यंत्रो को चलाना/आपरेट करना एवं पलेवा/फसलों में सिचांई करना। फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होगें तथा पानी सुचारू रूप से लगाना होगा।

कपास व धान में बट बनाना।

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा।

यूरिया, डी.ए.पी. व एसएसपी आदि उर्वरकों का छिडकाव करना।

1. खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड के हिसाब से **क्रोसिंग में दो बार में छिडकनी होगी** ।
2. खाद छिडकते समय फसल का कोई भी हिस्सा नही छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड़ सके साथ ही उपरोक्त कार्य के लिये आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
3. खाद छिडकनें के लिए फार्म के प्लास्टिक के थैलों की झोलियां स्वंय ठेकेदार को बनानी होगी। उपयोग के दौरान खाद की खाली बोरियों को कृषि स्टोर में जमा करवाना होगा।

4. बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार समय पर लोड अनलोड करना होगा।

5. जिप्सम, FYM या अन्य ज्यादा मात्रा वाली खाद को फील्ड के अंदर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से छोटी-छोटी ढेरियाँ लगाकर या ट्रॉली से सीधे फील्ड में छिड़कना होगा | खाद या जिप्सम का बुरकाव पूरे फील्ड में एक समान करना होगा | ट्रैक्टर-ट्रॉली फार्म द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा |

फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डस्टिंग करना

1. स्प्रे करनें वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वंय करना होगा ।
2. स्प्रे व डसटिंग करनें के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी ।
3. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिडकनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।
4. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

फसलों में रोगिंग करना।

1. रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाडनें होंगे व उन्हे चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।
2. कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर पुनः करना होगा अन्यथा कार्य के बदले भुगतान नही किया जायेगा।

चना, उड़द, मूॅग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुडाई करना।

1. मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी एवं फसल पोधों के बीच में से में घास को निकालना होगा।
3. यदि उक्त कार्य संतोषजनक नही किया जाता है तो उस कार्य को पुनः करना होगा अन्यथा बिल का भुगतान नही किया जायेगा।

चना, उड़द व मूॅग या अन्य फसलों में उंटहल/हल से गुड़ाई करना।

1. ठेकेदार को **उंटहल** ध्हल का इन्तजाम स्वयं करना होगा।
2. गुड़ाई के समय फसल में किस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी।

धान की नर्सरी आदि डालना।

1. धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा। एक ही जगह पर ज्याद मात्रा में बीज छिडकने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

धान की मैट नर्सरी तैयार कर फार्म मशीन से लगवाना आदि ।

अ. धान की मैट नर्सरी तैयार करना : मिट्टी को छानकर मैट नर्सरी की क्यारी हेतु तैयार करना, क्यांरियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, नर्सरी बिजाई के लिये मिश्रण तैयार करना, बीज डालना, पानी लगाना, स्प्रे करना एवं खाद डालना.

ब. धान की मैट नर्सरी को शिफ्ट करना व ट्रांसप्लांटर से रोपाई करवाना :रोपाई के समय मैट नर्सरी के फर्मे की कटाई करना, कटे हुये फर्मे को फार्म ट्रांसपोर्ट से ट्रांसप्लांटर मशीन तक शिफ्ट करवाना और फार्म ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई करवाना एवं गैप फिलिंग सहित अन्य सम्बधित कार्य करना

धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना।

1. धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये तुरब्बों में लगाना
2. प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होनें पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी ।
3. पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके।

धान से घास निकालना।

1. घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी ।

2. घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः बृध्दि कर लेता है। घास को जड से न निकालें एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी ।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा।

फार्म क्षेत्र में गिरे पेड़/लकड़ी विनाईंग सेन्टर पर लगाना।

1. पेड़/लकडी की कटाई के लिए मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा।
2. लकड़ी ढुलाई के लिए श्रमिक व वाहन ठेकेदार के होंगे ।
3. लकडी फील्ड में लादना व विनाईंग सेन्टर पर उतारना इसके लिए क्षमिक ठेकेदार के होगें।
4. जलाऊ व इमारती लकड़ी को अलग–अलग लाना होगा तथा खलिहान पर उतारते समय भी इमारती व जलाऊ लकड़ी का ढ़ेर अलग–अलग लगाना होगा।
5. गिरी हुई लकड़ी की कटाई फार्म द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार करनी होगी।
6. विनोइंग सैंटर पर पहुचाने वाली लकड़ी **गर्थ अनुसार एवं लॉगवुड/फायरवुड के लॉट बनाकर (लॉगवुड में केवल : शीशम, कीकर, सफेदा, टीक)** रखनी होगी। जिसके लिये निम्नानुसार **निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें** :–

 i. ***2 फीट तक की गर्थ** वाली लकड़ी –फायरवुड में रखी जायेगी (Up to 2 fit girth-Firewood)*

 ii. ***2 फीट से अधिक गर्थ** वाली लकड़ी –लॉगवुड में रखी जायेगी (More than 2 fit girth-Logwood)*

 iii. *जड़ों का अलग से लॉट्स लगाना होगा (Separate lot Roots)*

 iv. *एक लॉट में **अधिकतम 2000 क्विंटल तक फायरवुड/लॉगवुड रखी जा सकती है।** जो उचित–रूप से निर्धारित स्थान में रखी जायेगी। (Properly staking with limited space)*

फसल बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना।

1. बीजाई के समय फार्म की सीड ड्रील से बीजाई करवाना।

बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुडाई करना तथा बिजाई करना।

1. जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।

1 बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा। मजदूरों को हैण्ड ग्लब्स, मास्क आदि ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा।

फसलों में स्प्रेइंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।

1. डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।
2. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
3. दवा के दुरूपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी **व निविदा की नियम-शर्त संख्या 12 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी |**

कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना।

1. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ–साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।
2. बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

खड़े पेड़ों की सिंगलिग, पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना।

खड़े पेड़ों की सिंगलिंग करना, **दर प्रति पेड**–

खड़ें पेड़ों में पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना। **दर प्रति पेड** ।

मूँग, ग्वार, उड़द, मोठ फसलों की हाथ से कटाई व फार्म मशीन से थ्रैशिंग का कार्य करना

1. मूँग, ग्वार, उड़द, मोठ फसलों की ठेकेदार को हाथ से कटाई व फार्म मशीन से थ्रैशिंग करानी होगी, कटाई व फसल इकट्ठा करने के लिए दराती व अन्य उपकरण ठेकेदार द्वारा लाने होंगे |
2. फसल इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली व थ्रैशिंग हेतु मशीन फार्म द्वारा उपलब्ध कारवाई जाएगी |
3. थ्रैशिंग के बाद फसल का straw (भूसा) निविदादाता का होगा |
4. निविदादाता को श्रेणीवार मूल्य देना होगा | श्रेणी का निर्धारण उस समय फसल की स्थिति के अनुसार किया जाएगा |

अन्य शेष शर्तो व कार्यो के संबंध में :–

1. उपरोक्त कार्यो के अलावा जो भी कार्य करवाया जायेगा जो कि निविदा में दिया गया है वह खण्ड प्रभारियों/चक प्रभारियों के दिशा–निदेशानुसार करना होगा। चकों पर खाद बीज दवाई या चक से सम्बधित अन्य सामान लाने–लेजाने हेतु बाहन फार्म द्वारा प्रदान किया जायेगा।
2. उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
3. सफल **निविदादाता** को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/– के **नोन ज्युडिशियल** स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा। जो **स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस मे जमा कराना होगा**। **अनुबंध होने के उपरांत ही ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया जायेगा |**
4. सफल **निविदादाता** को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (Security Money) 10000/– जमा करानी होगीं। उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य **संतोषजनक रूप से पूरा होने के उपरांत** बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी |
5. यह अनुबंध दोनों फर्मो के बीच Agreements होने की तिथि से लागू **होगा और अनुबंध की वैधता के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से, सहमत अवधि के लिए समान नियम–शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।**
6. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
7. **मूल्य उद्धृत करते समय निविदादाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन**(Minimum wages) **को ध्यान में रखना चाहिये | यह निविदादाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।**
8. **उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।**
9. फर्म द्वारा एकबार **उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए, बिना किसी वृद्धि / वृद्धि के किसी भी कारण से, जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा।**
10. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। कार्य समाप्ति के बाद 7 दिवस में बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा एवं बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।

11. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा, ठेकेदार अपने खर्च पर संसाधनों, श्रमिको की व्यवस्था करेगा। विशेष स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
12. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म-संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा फार्म द्वारा जाँच ,के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है |
13. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
14. श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म मे रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।
15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तो की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
16. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य आवंटन के उपरांत कार्य को सुचारू ढंग से नहीं किया जाता है अर्थात लापरवाही से व निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जाता है तब उस दशा में उसे फार्म द्वारा एक चेतावनी पत्र दिया जायेगा व साथ ही किये गये निम्न गुणवत्ता वाले कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा | यदि चेतावनी पत्र देने के उपरांत भी कार्य में कोई सुधार नहीं होता है तब उस दशा में उसका ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा व साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है |
17. यदि किसी चक पर ठेकेदार का कार्य सही नहीं होने के कारण उसका अनुबंध निरस्त किया जाता है तो उस चक हेतु किसी अन्य उपलब्ध ठेकेदार से अनुबंध कर उन्हीं दरों पर कार्य करवाया जायेगा (पहले आओ पहले पाओ के अनुसार) | यदि पूर्व निलंबित ठेकेदार की दरों पर कोई अन्य ठेकेदार उपलब्ध नहीं होता है तब उस दशा में उस चक के निकटवर्ती सामानांतर परिस्थितियों वाले चक हेतु निर्धारित उपलब्ध दरों पर कार्य फार्म द्वारा करवाया जा सकता है, उसी अनुसार अन्य उपलब्ध ठेकेदार को प्रार्थना पत्र देकर श्रीमान फार्म प्रमुख से स्वीकृति लेकर अनुबंध करना होगा व धरोहर राशि भी जमा करवानी होगी |
18. फार्म अधिकारियों अथवा चक प्रभारी के निर्देशानुसार ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
19. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होगें। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा चक इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।
20. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बधित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा।
21. संबंधित चक पर अनुबंधित ठेकेदार यदि निविदा में दिए गये कार्यों के अतिरिक्त अनुबंध किये गये चक पर कोई कार्य फार्म द्वारा निर्धारित फ्लैट दरों पर करने का इच्छुक होता है तब उक्त कार्य

करने हेतु उसे प्रार्थना पत्र देना होगा व श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के उपरांत उसी वित्तीय वर्ष में उस चक पर किये गये विभिन्न कृषि कार्यों के अनुबंध व धरोहर राशि के अनुसार कार्य करना होगा | उसी वित्तीय वर्ष में उस चक पर किये गये विभिन्न कृषि कार्यों के अनुबंध की नियम व शर्तें उस अतिरिक्त कार्य पर भी लागू होगी |

22. टेण्डर मे दिये गये नियम एंव शर्ते तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि श्रमिक ठेकेदार को मान्य होगें। श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य करने मे देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकी EMD/ Security राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया कर दिया जायेगा। इसके साथ ही यदि सम्बधित ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म के किसी स्टाफ से अभद्रता करता है अथवा किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो सम्बधित की EMD/ Security जब्त करते हुये डीबार करने की कार्यवही की जायेगी जिसके सम्बंध में अंतिम निर्णय फार्म प्रमुख द्वारा लिया जावेगा।

23. **Arbitration clause:** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा–निर्देश/नियम एंव शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लिये है। उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते के अंतर्गत कार्य नही होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ **आवश्यक** कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

दिनांक...

हस्ताक्षर निविदादाता..................................

निविदादाता का नाम.................................

पता..

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

क्र. : सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-65/भाग-**II**/2025-26

निविदा प्रपत्र

मैं खरीफ 2026, रबी 2026–27 एवं जायद 2027 में होने वाले कृषि कार्यो को फार्म में करनें के लिए तैयार हूँ एवं इन कृषि कार्यो को करने के लिये निम्नानुसार अपनी दरें देता हूं :–

चक संख्या : ______________

क्र. स.	कार्य का विवरण	फार्म से ली जाने वाली दरें (रुपयों में)
1.	**खाले की सफाई करना**	
क	खाले की सफाई करना व घास निकालना। **प्रति मीटर की दर से।**	
ख	खाले की डिसल्टिंग करना। **प्रति मीटर की दर से।**	
ग	मुख्य खाले की दोनों तरफ की पटरी बनाना, समतल करना, झांड़ियां काटना । **प्रति मीटर**	
2.	**अ)** फसलों के लिए पलेवा करना व सिंचाई करना, प्रति एकड़ की दर ।	
	ब) धान में द्वितीय व बाद की सिंचाई करना **दर प्रति एकड़।**	
3.	मुरब्बों में कपास व धान में बट कसना। **प्रति मीटर की दर से ।**	
4.	**अ)** यूरिया, डी0ए0पी0 व एसएसपी उर्वरकों का छिड़काव **फार्म के ट्रेक्टर मशीन** द्वारा करना **प्रति एकड़ की दर से।**....................तथा **ठेकेदार द्वारा** करना **प्रति एकड**........................	फार्म मशीन_______, ठेकेदार ________
	ब) जिप्सम, FYM व अन्य ज्यादा मात्रा वाली खाद डालना **प्रति एकड़ की दर से।**	
5	फसलों में रोगिंग करना, **A. चने के अतिरिक्त अन्य सभी फसलें** .... **प्रति एकड़ की दर से** **B. चने की फसल**.....................**प्रति एकड़ की दर से ।**	A ___________, B ___________
6	उड़द, मूंग चना व अन्य फसलों में कसोलों से गुड़ाई करना, ज्यादा घास, मध्यम घास व कम घास की प्रति एकड़ की दर से। [श्रेणी– **A** (ज्यादा घास), **B** (मध्यम घास), **C** (कम घास)]	A _________, B _________, C _________
	खरीफ/रबी फसलों में इंटरकल्चर Spike Teeth से करना। **प्रति एकड़ की दर से।**	
	फार्म टैक्ट्रर से चनें की गुडाई करने के लिए टैक्ट्रर के पीछे **दुफाली व**	

	त्रिफाली पकडने के लिए **ठेके के आदमी**, **दर प्रति एकड़ से।**	
	सॉवल अथवा नाईफ टाईप कल्टीवेटर सिंगल फाली द्वारा फसलों में इंटरकल्चर। **प्रति एकड़ की दर से।**	
7	धान की नर्सरी के लिए क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, पानी में पाटा चलाना, धान की नर्सरी के लिए बीज डालना **प्रति एकड़ की दर** से...................	
	अ. धान की मैट नर्सरी तैयार करना : मिट्टी को छानकर मैट नर्सरी की क्यारी हेतु तैयार करना, क्यांरियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, नर्सरी बिजाई के लिये मिश्रण तैयार करना, बीज डालना, पानी लगाना, स्प्रे करना एवं खाद डालना. **प्रति एकड़ की दर** से.................. **ब. धान की मैट नर्सरी को शिफ्ट करना व ट्रांसप्लांटर से रोपाई करवाना** :रोपाई के समय मैट नर्सरी के फर्मे की कटाई करना, कटे हुये फर्मे को फार्म ट्रांसपोर्ट से ट्रांसप्लांटर मशीन तक शिफ्ट करवाना और फार्म ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई करवाना एवं गैप फिलिंग सहित अन्य सम्बधित कार्य करना) **ट्रांसप्लांट किये गये एरिया की प्रति एकड़ दर ....**	अ _________, ब _________
	धान की नर्सरी उखाड़ना व धान लगाना, एक स्क्वायर मीटर में करीब **30 पौधो** से कम न हो। **अ) लेबर लाने-ले जाने हेतु फार्म वाहन इस्तेमाल करना (प्रति एकड़ की दर)** व **ब) ठेकेदार द्वारा लेबर लाने-ले जाने हेतु स्वयं का वाहन इस्तेमाल करना (प्रति एकड़ की दर)।**	अ) ____________, ब) ______________
	धान की रोपाई से पूर्व में मुरब्बों से झाग/कचरा को बाहर निकालना। **दर प्रति एकड़**	
	धान में घास निकालना [श्रेणी– **A** (ज्यादा घास), **B** (मध्यम घास), **C** (कम घास)], **प्रति एकड़ की दर से।**	A _________, B _________, C _________
8	फार्म क्षेत्र में गिरे हुए पेड़ो को कांट–छांटकर अपने वाहन **(ठेकेदार के)** से विनोंईग सेन्टर पर लाना, जलाऊ व इमारती लकड़ी **अलग–अलग ढ़ेरों में उतारना एवं अधिकतम 2 हजार क्विंटल का ढेर लगाना। प्रति क्विटल की दर से।** (क) श्रेणी A की दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से) (ख) श्रेणी B की दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से) (ग) श्रेणी C की दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से) **<u>नोट:</u>** उपरोक्त श्रेणियों का विवरण चकों के विवरण के साथ उपलब्ध है |	A _________, B _________, C _________
9	चने की फसल में जमीन की सतह से बथुआ की कटाई **दर प्रति एकड़ में।**	
10	खलियान से आये हुए चने(पोड) की थ्रेसिंग थ्रेसर (ठेकेदार के) से करना **प्रति क्विटल की दर से।**	
11	फसल की बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना तथा छूटे हुये कोनों की बिजाई करना बीजोपचार सहित दर **A. चने के अतिरिक्त अन्य सभी फसलें** .... **प्रति एकड़ की दर से**	A _________, B _________

	B. चने की फसल......................**प्रति एकड़ की दर से**		
12	फसलों में स्प्रे करते समय **फार्म** ट्रैक्टर से जुड़े **जैक्टो स्प्रैयर में पानी** व दवा डालकर छिडकाव करना व फसलों के स्प्रे करते समय **फार्म** ट्रैक्टर से जुडे मा**उण्टेड स्प्रैयर पानी** व दवा डालकर छिड़काव करवाना।	जैक्टो ________, माउंटेड ________
	(क) प्राईवेट ट्रैक्टर से बाहर से स्प्रे करना मजदूर सहित – **दर प्रति एकड**	
	(ख) प्राईवेट ट्रैक्टर से खेत के अंदर, मजदूर सहित स्प्रे करना– **दर प्रति एकड**	
	(ग) फार्म ट्रैक्टर से खेत के बाहर, मजदूर सहित स्प्रे करना – **दर प्रति एकड**	
13	कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की **कटाई/मोपिंग करना**...... ....**व बैकर अनलोड करना** ....**। दर प्रति एकड़।**	मोपिंग ________, बैंकर अनलोड______
14	खड़े पेड़ों की **सिंगलिंग** करना, **दर प्रति पेड**–	
15	खड़ें पेड़ों में पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना। **दर प्रति पेड** ।	
16	फसलों में काचर बेल निकालना **दर प्रति एकड**– A (ज्यादा काचर-बेल)...........B (मध्यम काचर-बेल)...........C (कम काचर-बेल).........	A ____________, B ____________, C ____________
17	फसलों में अपनें श्रमिक द्वारा 16 लीटर की अपनी ढोलकी द्वारा स्प्रे करना । **दर प्रति ढोलकी**	
18	बाजरा व अन्य फसलों से चिड़ियों को उडाना। **दर प्रतिएकड़/प्रतिदिन**	
19	फसलों मे से **विशेषकर** Low Line Area मे से पानी को Drain out करना । **दर प्रति एकड़**	
20	कट व साइफनों को बोरी द्वारा बंद करना । **दर प्रति बोरी**	
21	मूँग, ग्वार, उड़द, मोठ की कटाई करके फार्म मशीन से उसकी थ्रैशिंग करना । निविदादाता द्वारा भरी हुई दरों के साथ थ्रैशिंग के फसल का straw (भूसा/नीरा) भी निविदादाता का होगा । दरें निम्न श्रेणीवार देनी होंगी :- A) अधिक plant population वाले फील्ड हेतु दरें । B) माध्यम plant population वाले फील्ड हेतु दरें । C) कम plant population वाले फील्ड हेतु दरें । उक्त श्रेणी का निर्धारण फसल की स्थिति के अनुसार किया जाएगा ।	A ______________, B ______________, C ______________

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

मोबाइल नंबर....................................